कार्यालय महाधिवक्ता छत्तीसगढ़

उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी, बिलासपुर (छ0ग0)

//विज्ञापन//

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 20.05.2026 से दिनांक 06.06.2026 सायं 5 बजे तक

दिनांकः 18.05.2026

क्रमांक/स्थापना/ 18606 /बिलासपुर, :: छ0ग0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 776/21–अ/स्था/2026 रायपुर, दिनांक 10.04.2026 के संदर्भ में, इस कार्यालय में निम्नांकित रिक्तियों की पूर्ति सीधी भर्ती से किये जाने हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों से उक्त पदों हेतु आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर से दिनांक 06.06.2026, सायं 5.00 बजे तक इस कार्यालय में आमंत्रित किये जाते है । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जावेगा। विज्ञापन संबंधी विस्तृत जानकारी कार्यालयीन वेबसाइट https://advocategeneral.cgstate.gov.in/ पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

रिक्तियों की संख्या पदनाम सहित प्रवर्गवार निम्नानुसार हैः–

क.	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित		अनु. जाति		अनु. जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	शीघ्रलेखक (अंग्रेजी)	11 03 (बैकलॉक)	04	01	01	—	03 03		02	—	—	11 03
2	सहायक वर्ग–3	14	04	01	02	—	03	01	02	—	01 (LV/HH/OL/OH/OA)	14
योग		28	08	02	03	—	09	01	04	—	01	28

महत्वपूर्ण टीपः–

1. **विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है** इसमें आवश्यकता अनुसार कमी एवं वृद्धि की जा सकती है। शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के विज्ञापित पदों में बैकलॉक के पद सम्मिलित है ।
2. आवेदक का छत्तीसगढ़ रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
3. उपरोक्त पदों पर आवेदन करने हेतु LV, HH, OL,OH, OA श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। (Abbreviation : LV-Low Vision, HH-Hearing Handicapped, OL-One Leg, OH-Orthopedic Handicapped, OA-One Arm)
4. सरल क्रमांक 01 एवं 02 आवेदित पद (शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) व सहायक वर्ग–3) हेतु कुल रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों हेतु 01–01 पद आरक्षित है।

5. आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी नियमों एवं आवश्यक मानदंडों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(1) भर्ती हेतु योग्यताः–

1. शीघ्रलेखक (अंग्रेजी)

(अ) वेतनमान–वेतन मैट्रिक्स में लेवल–7 वेतनमान रू . 28700–91300 एवं अन्य भत्ते यथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित

(ब) शैक्षणिक योग्यताएं–

अनिवार्य–
1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण ।
2. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था, शीघ्रलेखन (शॉर्टहैण्ड) तथा मुद्रलेखन परिषद् से:– अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शॉर्टहैण्ड) प्रमाण–पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शॉर्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।
3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा । (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

वांछनीय– द्विभाषी शीघ्रलेखन (अंग्रेजी/हिन्दी) वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।

2. सहायक वर्ग–3

(अ) वेतनमान–वेतन मैट्रिक्स में लेवल–4, वेतनमान रू.19500–62000 एवं अन्य भत्ते यथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित

(ब) शैक्षणिक योग्यताएं–

अनिवार्य–
1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र ।
3. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन–मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाणपत्र (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

वांछनीय– शीघ्रलेखन (अंग्रेजी) संबंधी ज्ञान एवं अनुभव को चयन में वरीयता दी जावेगी।

कम्प्यूटर प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/उपाधि की मान्यता संबंधि निर्देशः–

शीघ्रलेखक (अंग्रेजी), सहायक वर्ग–3 के पदों हेतु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर के परिपत्र क्रमांक दिनांक 22.01.2018 के निर्देशानुसार निम्नांकित मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा कम्प्यूटर विषय से संबंधित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/उपाधि को ही मान्य किया जावेगाः–

1. मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट ।
2. मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईंस/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/मॉर्डन आफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)।
3. वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड युनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईंस/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि।
4. DOEACC Society of New Delhi द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा ।

महत्वपूर्ण नोटः–

अभ्यार्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य अर्हता निर्धारित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य होगा।

(2) निर्धारित आयु सीमाः–

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2026 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो परन्तु आरक्षित समूह के छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा छत्तीसगढ़, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार लागू होंगे, किन्तु समस्त प्रकार के आयु संबंधी छुट के बाद उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए जो निम्नानुसार हैः–

1. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है तो उसे उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष तक की छूट दी जायेगी ।
2. ऐसे अभ्यर्थी को जो भू.पू.सै. हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो ।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–3–1/2016/1–3, नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी ।
4. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 एवं क्रमांक एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 10.02.2006 के अनुसार शिक्षाकर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायतकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी ।

5. स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
6. विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी ।
7. आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।
8. राज्य (अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराज प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं '' को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।
9. छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर, दिनांक 30.01.2012 के अनुसार राज्य में संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रुप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
10. छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 20–4/2014/आ. प्र./1–3 नया रायपुर, दिनांक 27.09.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

महत्वपूर्ण टीपः—

1. **सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।**
2. **आयु की गणना दिनांक 01.01.2026 के सन्दर्भ में की जाएगी ।**

(3) आवेदन प्रस्तुत करने की प्रकियाः—

1. आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र दिनांक 06.06.2026 की सायं 5.00 बजे तक प्रत्येक पद हेतु बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद शीघ्रलेखक अंग्रेजी/सहायक श्रेणी–3 एवं प्रवर्ग अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग/भू.पू.सै. पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो। कार्यालय महाधिवक्ता छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी, बिलासपुर (छ.ग.) के कार्यालय में पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते है। दिनांक 06.06.2026 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, जाति, निवास, अनुभव प्रमाण पत्र आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. भर्ती संबंधी विस्तृत दिशा–निर्देश एवं आवेदन प्रारूप कार्यालयीन वेब साइट https://advocategeneral.cgstate.gov.in/ पर उपलब्ध है।
3. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा उतीर्ण करने की अंकसूची की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
4. आवेदन पत्र में स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता स्पष्ट भरा होना चाहिए।

5. पात्र उम्मीद्वारों की लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि के लिए प्रवेश पत्र संबंध जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जावेगी अतः समय–समय पर अवलोकन करना होगा।
6. उम्मीद्वार आवेदन पत्र में चस्पा किए गए फोटोग्राफ की ही एक प्रति प्रवेश पत्र में चस्पा करेंगे, भिन्न फोटोग्राफ होने पर परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
7. आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर पुनः आवेदन/निवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा ।
8. प्रत्येक विज्ञापित पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. एक ही पद हेतु एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिये जायेगे।

(4) नियम एवं शर्तेः–

1. उपरोक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु पदानुसार लिखित, प्रायोगिक/कौशल परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी।
2. **परिवीक्षा अवधि**ः–चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।
3. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है, तो नियोक्ता/विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. भर्ती प्रकिया के दौरान किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिए जाने के लिए माननीय महाधिवक्ता के पास सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।
5. अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी, गलत/भ्रमक जानकारी प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कानूनी/वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
7. किसी कारणवश निर्धारित परीक्षा तिथि स्थगित होने पर पुनः तिथि निर्धारित करके परीक्षा ली जा सकती है।
8. भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगजन हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार वांछित प्रमाण पत्र की स्वःप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र धारी बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति ही दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का लाभ लेने हेतु पात्र होगे। चयनित दिव्यांग अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय स्थाई दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. किसी पद हेतु अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर परीक्षा संबंधी समस्त निर्णय भर्ती समिति के निर्णय के विचाराधीन होगी।

(5) चयन प्रकियाः–

1. पात्र अभ्यार्थियों हेतु एक लिखित, प्रायोगिक/कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी।
2. शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) एवं सहायक वर्ग–03 के पद के लिए लिखित एवं कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(अ)	लिखित परीक्षा के लिए अधिकतम अंक	–	100 अंक
(ब)	कौशल परीक्षा के लिए अधिकतम अंक	–	50 अंक

चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी।

चरण –01 : लिखित परीक्षा

(अ) लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों की 100 प्रश्न होगें।

(ब) कोई नकारात्मक मार्किंग नहीं होगी।

पाठ्यक्रम

1.	सामान्य अध्ययन (भारत)	20 अंक
2.	सामान्य अध्ययन (छत्तीसगढ़)	15 अंक
3.	कम्प्यूटर का सामान्य जानकारी	20 अंक
4.	सामान्य मानसिक योग्यता	10 अंक
5.	सामान्य गणित	15 अंक
6.	सामान्य हिन्दी	10 अंक
7.	सामान्य अंग्रेजी	10 अंक

लिखित परीक्षा (चरण–1) में प्राप्त अंको के आधार पर उम्मीदवारों को 1:15 के अनुपात में चरण–2 कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

चरण –02 : कौशल परीक्षा (सहायक वर्ग–03)

(अ) दूसरी चरण में हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट शामिल है।

(ब) कौशल परीक्षा अधिकतम 50 अंको की होगी, जो इस प्रकार है :

1. हिन्दी में कम्प्यूटर टाइपिंग (10 मिनट में 250 शब्द) – 25 अंक
2. अंग्रेजी में कम्प्यूटर टाइपिंग (10 मिनट में 300 शब्द) – 25 अंक

कौशल परीक्षा (शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) **)**

1. अंग्रेजी शीघ्रलेखन (श्रुतलेख) (5 मिनट में 500 शब्द) – 25 अंक
2. अंग्रेजी में कम्प्यूटर टाइपिंग (10 मिनट में 300 शब्द) – 25 अंक

3. प्रायोगिक परीक्षा में शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के उम्मीद्वार को 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी में श्रुत लेख दिया जावेगा जिसे आशुलिपी में लिखना होगा, जिसे निर्धारित समय–सीमा के भीतर शुद्धता से कम्प्यूटर पर टाईप कर प्रिन्ट निकालना होगा।
4. टाइपिंग टेस्ट Window Operating System MS Office मे हिन्दी टायपिंग Krutidev 010 font में एवं अंग्रेजी टायपिंग Times New Roman font में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक गलती के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे।
5. उपरोक्त विज्ञपित दोनों पदों की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवार को प्रत्येक टाइपिंग टेस्ट में 25 अंक में से न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करने होंगे।
6. शीघ्रलेखक अंग्रेजी के परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवार को 25 अंक में से न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करने होंगे।
7. मेरिट सूची केवल चरण–2 यानी कौशल परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर तैयार की जाएगी और चरण–1 लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को मेरिट सूची/चयन सूची तैयार करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
8. शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दिव्यांगजनो तथा भू.पू.सै. का चयन किया जावेगा ।

(माननीय महाधिवक्ता महोदय द्वारा अनुमोदित)

अवर सचिव
कार्यालय महाधिवक्ता,
छ0ग0, बिलासपुर

कार्यालय महाधिवक्ता, छत्तीसगढ, बिलासपुर

शीघ्रलेखक (अंग्रेजी)/सहायक वर्ग–3 के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रवर्ग अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.व./अनारक्षित

लिंग महिला/ पुरूष

दिव्यांग हॉ /नहीं

भूतपूर्व सैनिक हॉ /नहीं

(उपरोक्त में जो लागू हो उसे टिक करें)

स्वप्रमाणित फोटो

विषयः– शीघ्रलेखक अंग्रेजी/ सहायक वर्ग–3 के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र।

संदर्भः– कार्यालय महाधिवक्ता, छ0ग0, बिलासपुर का विज्ञापन दिनांक ....

1. आवेदित पद का नाम :– ....

2. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में) :– ....

अंग्रेजी में (केपिटल अक्षरों में) :– ....

3. पिता/पति का नाम :– ....

4. जन्म तिथि (अंको में) :– ....

(शब्दों में) :– ....

5. दिनांक 01/01/2026 को आयु :– वर्ष.............................माह.......................दिन.......................

6. पत्र व्यवहार का पता :– ....

....

....

आधार नम्बर. :– ....

मो.नं. :– ....

ई–मेल :– ....

7. स्थाई पता :– ....

....

....

8. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हां/नहीं :– ....
(प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

9. रोजगार कार्यालय का नाम :– ....

पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक :– ....
(प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

10. श्रेणी–अनारक्षित/ अनु.ज.जाति/अनु.जाति/अ.पि.वर्ग :– ....
(आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

11. क्या अधिकतम आयुसीमा में छूट चाहते हैं? :– ....
(यदि हां तो किस श्रेणी से उल्लेख करें एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)

12. वैवाहिक स्थिति–विवाहित/अविवाहित :– ....

13. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताः–

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत

14. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है? :– ....
हां./नहीं (यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)

15. क्या आपको कभी नैतिक पतन से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है ?
हॉ/नहीं (अंकित करें) :– ....

16. क्या आपको कभी किसी उच्च न्यायालय/संघ/राज्य लोक सेवा आयोग या किसी किसी सेवा चयन बोर्ड या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित किया गया है ?
हॉ/नहीं (अंकित करें) :– ....

17. संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची :–

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

घोषणा–पत्र

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न प्रमाण–पत्र सत्य एवं सहीं हैं. कोई भी जानकारी असत्य होने की दशा में मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक ....

स्थान ....

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता

....
....
....
....
....